अमेरिकन एक्सप्रेस® कॉर्पोरेट कार्ड

सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें

अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग निगम द्वारा १५ नवम्बर २०२६ को एमआईटीसी अद्यतन और परिचालित की गयी जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मास्टर परिपत्र के अनुपालन में बैंकों के क्रेडिट कार्ड संचालन पर जारी किया गया है।

1. शुल्क एवं प्रभार

क) प्रवेश शुल्क व्यवस्था शुल्क, वार्षिक शुल्क और नवीकरण शुल्क

अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन (अमेरिकन एक्सप्रेस) सीमित देता संस्था कार्ड (कॉर्पोरेट कार्ड) जारी करने के लिए कोई शुल्क नहीं लेता है। हालांकि, नीचे दिए गए प्रभार सारणी में वर्णित शुल्क के अनुसार कुछ सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) कार्ड पर एक बार व्यवस्था शुल्क लागू होता है। वार्षिक सदस्यता शुल्क / नवीकरण शुल्क लागू होता है, जिसे प्रतिवर्ष लिया जाता है। यह प्रभार कंपनी के हिसाब से भिन्न भिन्न हो सकता है तथा सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) कार्ड कार्यक्रम के लिए नामांकन करते समय सीमित देता संस्था (कॉरपोरेट) को सूचित किया जाता है। मानक वार्षिक शुल्क / नवीकरण शुल्क के विस्तार के लिए कृपया नीचे दिए गए प्रभार सारणी को देखें।

ख) नकद अग्रिम / सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) एक्सप्रेस नकद

कंपनी से लिखित अधिकृति मिलने की स्थिति में, कॉर्पोरेट कार्डधारक सदस्यों को विदेशों में चुनिंदा एटीएम से नकदी निकालने के लिए कॉर्पोरेट कार्ड का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है. कॉर्पोरेट कार्ड धारक प्रति ३० दिन में रु. २००,००० के बराबर की नकदी या कंपनी द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार नकदी निकाल सकते हैं. कैश एडवांस पर लागू होने वाले मानक लेनदेन शुल्क (ट्रांजैक्शन फी) के विवरण के लिए, कृपया नीचे दी गई शुल्क अनुसूची देखें. यूएसडी मूल्यों को रु. में बदलने की सीमा अवधि को १४ दिनों से बढ़ाकर ३० दिन कर दिया गया है.

ग) अन्य सेवा प्रभार

i) प्रभार और शुल्क, जो समय–समय पर लागू हो सकते है, अमेरिकन एक्स्प्रेस द्वारा प्रदान की गई विशिष् सेवाओं के लिए या सीमित देता संस्था (कॉरपोरेट कार्ड से लिए जाने वाले कुछ दिन के लिए सीमित देवा संस्था (कॉर्पोरेट) / या द्वारा है।

ii) प्रभार कंपनी से कंपनी भित्र हो सकते हैं। कृपया किसी भी कंपनी विशिष्ट प्रभार के लिए सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) खाता नियम और देखें।

दिनांक पर लागू होने वाले शुल्कों का मानक कार्यक्रम नीचे दिया गया है:

शुल्क का विवरण	मानक शुल्क (राशि)
कॉर्पोरेट कार्ड वार्षिक शुल्क	अमेरिकन एक्सप्रेस ग्रीन कॉर्पोरेट कार्ड = भारतीय रुपये 2,100 अमेरिकन एक्स्प्रेस कॉर्पोरेट खरीद कार्ड = भारतीय रुपये 2,100 अमेरिकन एक्सप्रेस गोल्ड कॉर्पोरेट कार्ड = भारतीय रुपये 3,100 अमेरिकन एक्सप्रेस व्यापार यात्रा खाता = शून्य
सदस्यता पुरस्कार® शुल्क	शून्य (कार्यक्रम अथवा सीमित देता संस्था के लिए व्यक्तिगत नामांकन, कंपनी नामांकन के अधीन है)
नकद अग्रिम शुल्क	आहरण राशि का 3.5%
विलंब शुल्क	बकाया का 3.5% न्यूनतम भारतीय रुपये 100 के अधीन
वापसी शुल्क की जांच करें	भारतीय रुपये 150 प्रति वापिस उपकरण
प्रतिलिपि कथन का अनुरोध	3 महीने से अधिक पुराने बयानों के लिए भारतीय रुपये 100 प्रति विवरण
प्रभार पुनर्प्राप्ति शुल्क का अभिलेख	भारतीय रुपये 100 प्रति पुनर्प्राप्ति
रेलवे टिकट की खरीद पर अधिभार	इन्टरनेट (आईआरसीटीसी) के माध्यम से बुक करने पर न्यूनतम लेनदेन भारतीय रुपये 10 पर न्यूनतम 1.8%
ईंधन खरीद पर अधिभार / सुविधाशुल्क	सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ओ एम सी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के स्वामित्व वाले और / या संचालित ईंधन स्टेशनों पर न्यूनतम लेनदेन के हिसाब से प्रति भारतीय रुपये 10 लेनदेन का 1%। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) में, लेनदेन का 1% प्रति लेनदेन के हिसाब से सरचार्ज / सुविधा शुल्क भारतीय रुपये 5,000 से ऊपर या उसके बराबर के सभी लेनदेन के लिए लागू है। अन्य सभी निजी स्वामित्व वाली ईंधन कंपनियों जैसे शेल, अडानी, एस्सार आदि के लिए प्रति भारतीय रुपये 10 लेनदेन के 2.5% की अधिभार / सुविधा शुल्क लागू है।
विदेशी मुद्रा लेनदेन	3.5% विदेशी मुद्रा रूपांतरण चिन्हित
सरकारी रसीद लेखा प्रणाली(जीआरएएस) के भुगतान पर सुविधा शुल्क	एसबीआई ई पे* के माध्यम से जीआरएएस के सभी भुगतानों के लिए, नीचे वर्णित सुविधा शुल्क लागू होगा : अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा वसूला जाने वाला शुल्क : भारतीय रुपये 1 – भारतीय रुपये 90,00,000 : 0.94% भारतीय रुपये 90,00,001 या उससे अधिक : 0.99% एसबीआई ई पे' द्वारा वसूला जाने वाला शुल्क : भारतीय रुपये 1 – भारतीय रुपये 90,00,000 : 1%

	भारतीय रुपये 90,00,001 या उससे अधिक : 0.87% (करों का समावेश) *कृपया ध्यान दें कि एसबीआई ई पे* के माध्यम से जीआरएएस को किये गए भुगतान पर किसी भी विवाद (नों) के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस और भारतीय स्टेट बैंक जिम्मेदार नहीं होंगे। कंपनी और / या कार्ड मेम्बर ऐसे सभी विवादों / मुद्दों / चिंताओं को सीधे जीआरएएस के साथ उठाएंगे और सुलझाएंगे।
सदस्यता पुरस्कार अंक – बहाली शुल्क	शून्य

उस पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

इस एम आई टी सी दस्तावेज़ में कहीं भी उल्लिखित कोई भी प्रभार लागू होने योग्य वस्तुओं और सेवाकर (जीएसटी) में शामिल नहीं है तथा इसे उस बिल के साथ जोड़ा जायेगा जो बिल विवरण पर दिखाई देता है तथा वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) की प्रचलित दर के अनुसार लगाया जायेगा।

घ) देय तिथि

सभी प्रभार मासिक विवरण प्राप्त होने पर तुरंत विवरण पर दी गई तारीख तक देय हैं। मासिक विवरण ना मिलने की स्थिति में कार्डसदस्य को, कार्डसदस्य की अभिलेख की प्रति (आरओसी) के आधार पर प्रभार के 21 दिनों के भीतर या अमेरिकन एक्सप्रेस से अनुरोध किए जाने पर, प्रभार का पूरा भुगतान करने की आवश्यकता है।

सांकेतिक उदाहरण: 13 जनवरी, 2013 के मासिक विवरण के लिए नियत तारीख तक कुल देय राशि भारतीय रूपये 12,000 है। तब कार्डसदस्य को भुगतान देय तिथि पर या उससे पहले भारतीय रूपये 12,000 की पूरी राशि का भुगतान करना आवश्यक है।

ड़) वित्त प्रभार

उत्पाद के अनुसार, कार्डसदस्य को वित्त प्रभार के भुगतान द्वारा अपने कार्ड पर अतिदेय शेष राशि पर घूमने की अनुमति नहीं है। कार्डसदस्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह देय तिथि पर कुल राशि का भुगतान करें या शुल्क वसूलने के 21 दिनों के भीतर।

i) अधिक ब्याज प्रभार

सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) कार्ड के लिए कोई अति देय ब्याज प्रभार लागू नहीं है।

ii) चूक के मामले में प्रभार – विलंब प्रभार

यदि अमेरिकन एक्सप्रेस को देय तिथि तक बकाया राशि का पूरा भुगतान नहीं मिलता है (जैसा कि मासिक विवरण में दिखाया गया है) तो एक विलंब शुल्क लगाया जाता है। अगली मंथली बिलिंग स्टेटमेंट में जब तक भुगतान पूरी तरह से नहीं मिल जाता है, तब तक बकाया राशि पर 3.5% की दर से विलंब शुल्क लगाया जाएगा (न्यूनतम मासिक विलंब शुल्क ₹100 के साथ)।

उदहारण का चित्रण – एक कार्डसदस्य के पास देय तिथि तक देय ₹12,000 की कुल राशि बकाया है। अगर कार्डसदस्य देय तिथि तक इस पूरी राशि का भुगतान नहीं करता है, तो अगले महीने की अकाउंट स्टेटमेंट में दिखाई देने वाला विलंब शुल्क होगाः 3.5% *12,000 = ₹420। इस प्रकार, कार्डसदस्य से ₹420 शुल्क लिया जाएगा, जो कि देय विलंब शुल्क है। अगर कार्ड मेम्बर देय तिथि तक पार्शल पेमेंट करता है, तो उसे उस कुल बकाया राशी के साथ एडजस्ट किया जाएगा जिस पर विलंब शुल्क लगाया जाएगा और अगले महीने की बिल स्टेटमेंट में दिखाई देने वाले विलंब शुल्क की गणना इस प्रकार की जाएगीः कुल बकाया ₹12,000, देय तिथि तक ₹2,000 का भुगतान किया गया, विलंब शुल्क = 3.5% *(₹12,000–₹2,000) = 3.5% *₹10,000 = ₹350

कृपया ध्यान दें कि ऊपर दिए गए उदाहरण में बताई गई विलंब प्रभार, वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) से अन्य है। वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) की लागू दरों के अनुसार लगाए गए विलंब शुल्क पर बिल किया जाएगा।

च) ब्याज मुक्त (अनुग्रह) अवधि

कॉर्पोरेट कार्ड (कार्डों) के लिए कोई ब्याज शुल्क लागू नहीं है। जब तक AEBC और कॉर्पोरेट ग्राहकों औरध्या कॉर्पोरेट कार्डमेम्बर के बीच विशेष रूप से सहमति न हो, कार्डमेम्बर अधिकतम 51 दिनों की निःशुल्क क्रेडिट अवधि का आनंद ले सकता है।

उदाहरण : लेन–देन की तारीख: 2 जून, बिलिंग साइकिल की तारीख: हर महीने की पहली तारीख, भुगतान की देय तिथि: 22 जुलाई, ब्याज मुक्त अवधि = 2 जून – 22 जुलाई = 51 दिन।

कृपया ध्यान दें कि यदि अमेरिकन एक्सप्रेस को भुगतान की नियत तारीख तक मासिक विवरण पर दिखाए गए शुल्क का पूरा भुगतान नहीं मिलता है तो विलंब शुल्क लगाया जाता है। अपराध शुल्क और उसके उदाहरण से संबंधित विवरण यहाँ धारा 1 (ई) (ii) के तहत उप–शीर्षक "डिफॉल्ट के मामले में शुल्क – अपराध शुल्क" के तहत प्रदान किए गए हैं।

बैंक द्वारा कॉर्पोरेट कार्ड अकाउंट की क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों (सीआईसीज) के समक्ष रिपोर्ट ''अतिदेय'' रूप में की जाएगी तथा विलंब भुगतान शुल्क लगाया जाएगा अगर देय तिथि से तीन दिनों के अंदर पूरा भुगतान प्राप्त नहीं होता है, जब तक कि एईबीसी तथा कॉर्पोरेट ग्राहकों तथा/या कॉर्पोरेट कार्ड सदस्यों के बीच अन्यथा खासतौर से इस बारे में सहमति न हुई हो.

(i) अतिदेय ब्याज शुल्कः कोई ब्याज प्रभार / अतिदेय ब्याज कॉर्पोरेट कार्ड (कार्डों) के लिए लागू प्रभार नहीं है।

2. व्यावहारिक सीमाएँ

क) क्रेडिट सीमा और ख) उपलब्ध क्रेडिट सीमा

कॉर्पोरेट कार्डसदस्य को अपनी कंपनी के साथ खर्च की सीमा की जांच करने की आवश्यकता होती है। अमेरिकन एक्सप्रेस के पास किसी भी अनुरोध किये शुल्क के प्राधिकार को अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है। सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) कार्डसदस्य अपने द्वारा खर्च की जा सकने वाली राशियों को समझने के लिए सहायता रेखा (हेल्पलाइन) पर कॉल कर सकते हैं।

ग) नकद निकासी सीमा

कॉर्पोरेट कार्ड से प्रतिस्थापित सदस्य प्रति ३० दिन में रु. २००,००० के बराबर की नकदी या कंपनी द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार नकदी निकाल सकते है। कैश एडवांस पर लागू होने वाले मानक लेनदेन शुल्क (ट्रांजैक्शन फी) के विवरण के लिए, कृपया नीचे दी गई शुल्क अनुसूची देखें। यूएसडी मूल्यों को रु. में बदलने की सीमा अवधि को १४ दिनों से बढ़ाकर ३० दिन कर दिया गया है।

घ) टोकन के लिए दैनिक लेन–देन की सीमा (कार्डसदस्य के लिए टोकन के लिए इसे सेट करना अनिवार्य नहीं है)

– आपकी दैनिक लेन–देन की सीमा कार्ड पर समग्र सीमा के भीतर होगी।

– आपके कार्ड पर अपडेट की गई सीमा (यदि कोई हो) तो आपकी दैनिक लेन–देन की सीमा **"बढ़ी हुई कार्ड सुरक्षा"** के भीतर होगी।

– आपकी दैनिक लेन–देन की सीमाएं अमेरिकन एक्सप्रेस का स्थान नहीं लेंगी

प्राधिकरण और नीति के अनुसार आंतरिक जांच के अधीन अस्वीकृत किया जा सकता है।

3. बिल और भुगतान

क) बिलिंग विवरण (खाते का विवरण) – आवधिकता और भेजने का तरीका

प्रत्येक बिलिंग अवधि के दौरान किसी भी गति विधि या कार्ड खाते पर बकाया राशि के लिए एक मासिक विवरण, सीमित देता संस्था (कॉरपोरेट) कार्डसदस्य या सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) को संदेश वाहक या नियमित डाक के माध्यम से या ई–मेल अधिसूचना के माध्यम से भेजा जाएगा। हालाँकि, इस अवधि के लिए कोई वक्तव्य नहीं दिया जा सकता है जिसमें पिछले महीने में खाते पर कोई बकाया नहीं है और कोई लेन देन नहीं हुआ है। किसी भी कारण से कथन की प्राप्ति न होना, देय भुगतान ना करने का वैध कारण नहीं है। कार्डसदस्य को अगर अपने सामान्य विवरण की तारीख से 10 दिनों के भीतर विवरण प्राप्त नहीं होता है तब कार्डसदस्य को देय राशि की जांच के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस को कॉल करना होगा। कार्डसदस्य https://www.americanexpress.com पर लॉगऑन करके भी अपने बयान देख सकते हैं और

अमेरिकन एक्सप्रेस सम्पर्कित (ऑनलाइन) खाते के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।

यदि किसी कार्डसदस्य ने ई–स्टेटमेंट नोटिफिकेशन का विकल्प चुना है और यह गलत/अधूरी ईमेल आईडी के कारण विफल हो जाता है और बैंक द्वारा नोटिफिकेशन के बाद ईमेल आईडी में सुधार नहीं किया जाता है, तो स्टेटमेंट की वरीयता को पेपर स्टेटमेंट में बदल दिया जाएगा। कार्ड मेंबर अपने ऑनलाइन अकाउंट में या मोबाइल ऐप के द्वारा लॉग इन करके अपनी ईमेल आईडी को अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा, वह अपनी ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं और ई–स्टेटमेंट में नामांकन कर सकते हैं।

ख) देय राशि / देय तिथि

सीमित देता संस्था (कॉरपोरेट) कार्डसदस्य को देय तिथि के अनुसार, खाते के विवरण में दर्शाई गई पूरी राशि का भुगतान करना आवश्यक है। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते है, तो धारा 1**(ग)** के अनुसार प्रभार लगाया जाएगा। भुगतान बाद के बयानों में स्वीकार किया जाता है। रात ९ बजे के बाद किए गए भुगतान की प्राप्ति अगले कैलेंडर दिवस में होगी.

ग) भुगतान करने का तरीका/माध्यम

चेक/डायरेक्ट डेबिट के ज़रिए भुगतान करने के लिए, कार्ड मेम्बर को अपने बैंक अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस बनाए रखना होगा। जिससे उनका बाउंस चार्जेज का जुर्माना न भरना पड़े। कार्डधारकों को निर्धारित तिथि तक भारतीय रुपए में भुगतान करना होगा।

राष्ट्रीय विदयुत धन स्थानान्तरण (एनईएफटी)– राष्ट्रीय विद्युत धन स्थानान्तरण (एनईएफटी) के माध्यम से किसी भी बैंक से अगले दिन अपने अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड बिल भुगतान को सम्पर्कित करें। अपने कार्ड को आदाता के रूप में पंजीकृत करते समय निम्नलिखित विवरण भरना सुनिश्चित करें –

प्राप्तकर्ता नाम	: अमेरिकन एक्सप्रेस
प्राप्त कर्ता खाता संख्या	: 37XXXXXXXXXXXX (XX आपके कार्ड नंबर के अंतिम 13 अंको का प्रतिनिधित्व करता है)
बैंक का नाम	: स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
प्राप्तकर्ता खाता प्रकार	: चालू
आईएफएससी कूट लिपि	: एससीबीएल0036020
शाखा का पता	: मानक चार्टर्ड बैंक, नारायण मंजिल, 23 बाराखंभा मार्ग, नई दिल्ली–110001

यदि आप मानक चार्टर्ड सम्पर्कित बेकिंग के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं तो आईएफएससी कोड की आवश्यकता नहीं है। आप भुगतान को संसाधित करने के लिए बस दूसरे एससीबी बैंक खाते में स्थानांतरण विकल्प का चयन कर सकते हैं।

अपने धन को कार्य दिवस* पर 3 (pm) बजे तक और सप्ताहांत पर सुबह** 10 (am) बजे तक स्थानान्तरण करे जिससे वे अगले ही दिन रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़ कर अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड को क्रेडिट कर दिए जाये। लेन–देन की विफलता से बचने के लिए सही कार्ड नंबर डालना भी सुनिश्चित करें।

*अपने बैंक द्वारा समय पर प्रसंस्करण के अधीन ।

**सप्ताहांत के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित सप्ताह के किसी भी शनिवार या रविवार को गिरने वाले कार्य दिवस शामिल हैं। हालांकि बैंक द्वारा या संबंधित प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किसी भी छुट्टी को एक सप्ताहांत में शामिल नहीं करता है।

सीधे डेबिट

आप प्रत्येक महीने अपने बैंक खाते से सीधे डेबिट के लिए नामांकन कर सकते हैं और कार्ड को क्रेडिट कर सकते हैं। भारत राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (डेबिट) के माध्यम से खाते को क्रेडिट करें।

ऑनलाइन (सम्पर्कित)

अपने कार्ड बिल का भुगतान, कहीं भी, कभी भी तीन सरल चरणों में करें। बस americanexpress.co.in लॉगऑन करें। अभी अपने "पे बिल"

पर क्लिक करें। अपना कार्ड विवरण और बैंक खाता भरें जिससे आप भुगतान करना चाहेंगे:

– **रूपए** / यूपीआई / यूपीआई **क्यूआर** कोड – हम निम्नलिखित विद्युत प्रकार के माध्यम से भी भुगतान स्वीकार करते हैं:
(i) रूपए द्वारा संचालित डेबिट कार्डय
(ii) एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) (भीम–यूपीआई)य तथा
(iii) एकीकृत भुगतान त्वरित प्रतिक्रिया कोड (यूपीआई क्यूआर कोड) (भीम–यूपीआई क्यूआर कोड)।

चेक / ड्राफ्ट: एईबीसी कॉरपोरेट कार्ड नंबर 3700xx xxxxxx xxxxx के लिए देय क्रॉस्ड चेक / ड्राफ्ट निम्नलिखित माध्यम से जमा करें और चेक के पीछे अपना नाम और दूरभाष संख्या लिखें।

(ए) ड्रॉप बॉक्स–विभिन्न लोकेशन में निकटतम ड्रॉपबॉक्स खोजने के लिए कृपया americanexpress.co.in पर लॉग ऑन करें।

(बी) मेल से भेजें – कृपया क्रॉस्ड चेक / ड्राफ्ट भुगतान आदेश के साथ निम्नलिखित पते पर भेजें:

अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन,
साइबर सिटी, टावर सी, डीएलएफ बिल्डिंग नंबर 8,
सेक्टर 25, डीएलएफ सिटी फेज 2, गुड़गांव – 122002 (हरियाणा)

चेक जमा करने की समय सीमा:

समाशोधन (क्लियरिंग) का माध्यम	समय सीमा
स्थानीय समाशोधन' 'समाशोधन के लिए बाहर जाना हो तो लोकल क्लियरंग हाउस की समय सीमा पर निर्भर।	4/6 कार्य दिवस यदि बैंक अवकाश हो तो उपरोक्त समय सीमा अगले 2 या अधिक दिन बढ़ सकती है।
मेट्रो और अन्य लोकेशन में प्रस्तुत चेक जहाँ अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन ('अमेरिकन एक्सप्रेस') पार्टनर बैंक की शाखाएं है लेकिन अदाकर्ता बैंक/शाखा नहीं है/स्थानीय समाशोधन/सीटीएस ग्रीड समाशोधन लागू है। ऐसे चैंक सीधे अमेरिकन एक्सप्रेस के पार्टनर बैंक के लोकेशन पर भेजे जहां स्थानीय समाशोधन/सीटीएस ग्रीड क्लियरिंग के लिए प्रस्तुत किया जाए।	10 कार्य दिवस
किसी अन्य लोकेशन पर भुगतेय चेक	12 कार्य दिवस
अन्य सभी केन्द्रों पर भुगतेय चेक	16 कार्य दिवस

स्थानीय समाशोधन के लिए ड्रॉप बॉक्स से प्रतिदिन निकासी की जाती है और अधिकतम शाम 4 बजे तक एकत्र चेक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के प्रॉसेसिंग सेंटर में जमा किए जाते हैं। चेक कुरियर करने की स्थिति में चेक क्लियर करने की समय सीमा अमेरिकन एक्सप्रेस के गुड़गांव के पते पर चेक प्राप्त करने के बाद की होगी।

चेक में कोई कमी रही तो उपरोक्त समय सीमा लागू नहीं होगी। उदाहरण के लिए खाता संख्या नहीं दी गई हो, टाइटल में फर्क हो आदि। 1 नवंबर 2021 से प्रभावी चेक की रकम प्राप्त होने के बाद क्रेडिट लिमिट दुबारा तय की जाएगी।

कृपया ध्यान रखें कि आरबीआई ने 21 जून, 2018 दिनांकित अपने निर्देश डीपीएसएस (चे)/569/01-02-003/2017-18 के तहत सीटीएस–2010 मानकों को पूरा नहीं करने वाले चेकों के समाशोधन सत्रों की फ्रिक्वेंसी कम कर दी है। इसके अतिरिक्त 31 दिसंबर 2018 के बाद सीटीएस मानक पूरे नहीं करने वाले चेक बंद कर दिए जाएंग/स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसलिए यदि आप कार्ड खातों में ऐसे चेक से भुगतान करते हैं जो सीटीएस का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड खाते पर उचित हर्जाना शुल्क और प्रभार लग सकते हैं। इसलिए आप से आग्रह है कि सीटीएस अनुपालन करने वाले चेक से भुगतान करे ताकि आपके चेक का समय से प्रॉसेस होना सुनिश्चित हो।

यदि कलेक्शन के दौरान कोई चेक या अन्य इंस्ट्रूमेंट रास्ते में या समाशोधन प्रक्रिया में या फिर भुगतान करने वाले बैंक की शाखा में खो

जाता है तो अमेरिकन एक्सप्रेस इस नुकसान की जानकारी मिलते ही कार्डमेम्बर को सूचित कर देगा। कार्डमेम्बर इसकी सूचना कॉर्पोरेट को देंगे जो भुगतान करने वाले बैंक को भुगतान रोकने का निर्देश जारी कर देगा। अमेरिकन एक्सप्रेस को क्षतिपूर्ति नीति के अनुसार कार्डमेम्बर/कॉर्पोरेट के लिखित अनुरोध पर अमेरिकन एक्सप्रेस केवल अपने विवेक से कार्डमेम्बर/कॉर्पोरेट को विलंब से कलेक्शन के लिए लागू विलंब भुगतान शुल्क और वित्त शुल्क वापस लेकर क्षतिपूर्ति कर सकता है।

कृपया ध्यान दें

1. कार्ड खाते में भुगतान केवल प्राथमिक कार्डधारक के नाम के बैंक खाते से ही किया जा सकता है।
2. भारत में जारी अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड जो किसी अनिवासी भारतीय के पास है उसके लिए भुगतान केवल प्राथमिक कार्डमेम्बर के नाम एनआरई/एनआरओ खाते के माध्यम से किया जाना है।
3. अमेरिकन एक्सप्रेस किसी ऐसे पेमेंट एग्रीगेटर के माध्यम से कार्डमेम्बर के भुगतान को प्रॉसेस करने या फिर भुगतान की गारंटी/वारंटी देने के लिए जिम्मेदार नहीं है जो अमेरिकन एक्सप्रेस वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन पर मौजूद नहीं हो।

घ) बिल सम्बन्धित विवाद सन्कल्प

कार्ड खाते के मासिक विवरण पर कोई स्पष्टीकरण या प्रश्न की स्थिति में 24 घंटे सदस्य सेवा हेल्पलाइन (ग (vi) देखें) में कॉल करके या बयान की तारीख के 60 दिनों के भीतर अमेरिकन एक्सप्रेस को लिखित रूप में (ग (viii) देखें) सूचित किया जाना चाहिए। अमेरिकन एक्सप्रेस शुल्क के संबंध में जानकारी प्रदान करके कार्डसदस्य की सहायता के लिए उचित कदम उठाएगी। अमेरिकन एक्सप्रेस विवरण फिर से प्रिंट या प्रभार फॉर्म के रिकॉर्ड के लिए एक उचित प्रशासनिक शुल्क लगाया जा सकता है। ग्राहक द्वारा अधिसूचित अनधिकृत लेन–देन सहित कार्डमेम्बर के बिलिंग विवादों/लेन–देन विवादों के मामले में, अमेरिकन एक्सप्रेस अपनी विवाद समाधान नीति का पालन करता है, जिसके तहत अमेरिकन एक्सप्रेस की आंतरिक नीति के अनुसार, विवादित लेनदेन पर एक अस्थायी या स्थायी निलंबन क्रेडिट लागू किया जाता है और विवाद के लिए मामले की जांच की जाती है, जिसे 30 दिनों के भीतर बंद कर दिया जाता है। ग्राहक द्वारा सूचित किए जाने पर, अमेरिकन एक्सप्रेस ग्राहक द्वारा इस तरह की अधिसूचना की तारीख से 10 कार्य दिवसों के भीतर ग्राहक के कार्ड खाते में धोखाधड़ी के लेनदेन में शामिल राशि को क्रेडिट करेगा। उपर्युक्त क्रेडिट निलंबन के परिणामस्वरूप, विवादित लेनदेन राशि को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), क्रेडिट इनफार्मेशन कंपनियों (आरबीआई) द्वारा गठित बड़े क्रेडिट सूचना के केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी), क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज (रेगुलेशन) एक्ट, 2005 के तहत स्थापित सीआईसी) और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के तहत स्थापित इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज (आईयू) को रिपोर्ट करने के उद्देश्य से अतिदेय शेष में तब तक शामिल नहीं किया जाता है, जब तक कि विवाद का निपटारा नहीं हो जाता। यदि ग्राहक के पक्ष में विवाद का समाधान नहीं होता है, तो विवादित राशि कार्ड खाते से डेबिट हो जाती है, जिसके बाद कार्ड मेम्बर को एक लिखित संचार भेजा जाता है और बाद में उपर्युक्त नियामक प्राधिकरणों को आवश्यक जानकारी जारी की जाती है।

ङ) सदस्यता इनाम के बिंदुओं की पूर्ति व्यापारी द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर निर्भर करती है। इनाम अंक के संबंध में किसी भी चिंता के लिए कार्डमेम्बर को ग्राहक सेवा से संपर्क करना चाहिए।

च) कार्डसदस्य के लिए हमारे 24 घंटे कॉर्पोरेट सेवा कॉल सेंटर के संपर्क विवरण

क्या कार्डसदस्य को किसी सहायता की आवश्यकता है, किसी भी सहायता के लिए कार्डसदस्य इन नंबरों पर अमेरिकन एक्सप्रेस को 24 घंटे कॉर्पोरेट सेवा पथकर मुफ्त (हेल्पलाइन) नंबरों पर संपर्क कर सकते है: 1800-419-1222 (टोलफ्री) और + 0124-673-6999

छ) शिकायत निवारण – अधिकारियों से संपर्क करने के लिए विशेष संपर्क करें

यदि आप हमारी हेल्पलाइन पर प्राप्त प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है तो आप नीचे दिए गए पते पर अपनी

शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि नीचे दिए गए संपर्क विवरण विशुद्ध रूप से शिकायत निवारण वृद्धि के लिए है सामान्य पूछताछ के लिए ग्राहक हमारे ग्राहक सेवा चैनलों के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं यूएस से (संपर्क करें) शिकायतों को आगे बढ़ाने के लिए इसे संबोधित किया जा सकता है:

पहले – स्तर में इज़ाफ़ा प्रबंधक – कार्यकारी पत्राचार इकाई साइबर सिटी, टॉवर "सी", डीएलएफ इमारत नंबर.8 अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प सेक्टर 25, डीएलएफ सिटी फेज II गुडगांव 122002 (हरियाणा) टेलीफोन नंबर : 0124–670 2523 (सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 से शाम 5:00 बजे तक) ईमेल: Manager-Customer Servicesindia@aexp.com	**दूसरा स्तर में इज़ाफ़ा** **सुश्री प्रियमीत कौर** ग्राहक सेवा की मुखिया अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प साइबर सिटी, टॉवर "सी", डीएलएफ इमारत नंबर.8 सेक्टर 25, डीएलएफ सिटी फेज़ II गुडगांव 122002 (हरियाणा) टेलीफोन नंबर : 0124–670 2527 (सोमवार से शुक्रवार सुबह 8.30 से शाम 5:00 बजे तक) ईमेल: Head-Customer Servicesindia@aexp.com
नोडल अधिकारी नाम: सुश्री गरिमा चंदेल ईमेल: AEBCNodalOfficer@aexp.com टेलेफोन नंबर: 0124–670 2638 (सोमवार से शुक्रवार सुबह 8.30 से शाम 5:00 बजे तक) अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प साइबर सिटी, टॉवर "सी", डीएलएफ इमारत नंबर.8 अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प सेक्टर 25, डीएलएफ सिटी फेज़ II गुड़गांव – 122002 (हरियाणा)	**मुख्य नोडल अधिकारी** नाम: श्री. आशिष पांडे ई–मेल आयडी: pnoindia@aexp.com फोन नंबर: 0124-6702638 (सोमवर से शुक्रवार सुबह: 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक) पता : अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प. सायबर सिटी, टावर ''सी'', डीएलएफ बिल्डिंग नं.8, सेक्टर–25, डीएलएफ सिटी फेज़–II गुड़गांव– 122002 (हरियाणा)

आप हमारी शाखा में उपलब्ध शिकायत रजिस्टर में या फिर हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध शिकायत प्रपत्र पर **यहां क्लिक** करें। बैंक प्रतिनिधि के गलत ढंग से बिक्री करने या परेशान करने पर ग्राहक निम्नलिखित माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

ईमेल: प्रबंधक- Customerservicesindia@aexp.com

टेलीफोन नंबर 0124–3362172 (सोमवार से शुक्रवार 8.30 से शाम 5:00 बजे तक

बैंकिंग लोकपात योजना

यदि आप बैंक द्वारा प्रदान की गई शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं है या आपको हमारे साथ शिकायत दर्ज करने के एक महीने के भीतर पानी 30 दिनों के भीतर बैंक से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, तो आप शिकायत निवारण के लिए बैंकिंग लोकपाल के कार्यालय से संपर्क कर सकते है। संपूर्ण लेन–देन और अन्य आवश्यक विवरणों के साथ बैंकिंग लोकपाल के कार्यालय में शिकायत की जा सकती है। (30 दिन की अवधि ग्राहक से मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त होने के बाद मानी जाएगी) एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजना के मुख्य विशेषताएं /विवरण के लिए यहाँ क्लिक करें।

एकीकृत बैंकिंग लोकपाल संपर्क विविरण

शिकायत दर्ज करने के लिए लिंक: https://cms.rbi.org.in

ईमेल आईडी: crpc@rbi.org.in

पता: केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र (सीआरपीसी), भारतीय रिजर्व बैंक, चौथी मंजिल, सेक्टर 17, चंडीगढ़ 160017

टोल फ्री नंबर: 14448 सुबह 9:30 से शाम 5:15 बजे तक

ज) कार्ड जारी कर्ता का पूरा डाक पता

अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प

साईबर सिटी, टॉवर "सी", डीएलएफ भवन नंबर 8,

सेक्टर – 25, डीएलएफ सिटी फेज II,

गुडगांव – 122002, हरियाणा, भारत

(झ) ग्राहक सेवा सेवाओं के लिए टोल फ्री नंबर

अमेरिकन एक्सप्रेस कॉर्पोरेट कार्ड ग्राहक सेवा टोल फ्री नबंरः 1800–419–1222

i) विदेशी मुद्रा में प्रभार

यदि आपकी कंपनी कॉर्पोरेट कार्डसदस्य को अपनी विदेश यात्रा के दौरान सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) कार्ड का उपयोग करने की अनुमति देती है और सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) कार्डसदस्य अपनी यात्रा के दौरान अपने सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) कार्ड का उपयोग करता है या विदेशी मुद्रा से जुड़े किसी भी लेनदेन के लिए, कार्डसदस्य को सहमत होना है सभी प्रचलित एक्सचेंज नियमों, विनियमों का पालन करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा समय–समय पर जारी की जाने वाली दिशा–निर्देश और संशोधन, समय–समय पर विदेश यात्रा से संबंधित और सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) कार्डसदस्य द्वारा विदेशी मुद्रा का उपयोग और आरबीआई द्वारा कंपनी को दिए गए किसी विशेष/सामान्य अनुमोदन नियम और शर्तों का अनुपालन करने के लिए। कॉर्पोरेट कार्ड एक विश्वस्तर पर मान्य कार्ड है और नेपाल और भूटान में व्यापारी स्थानों पर विदेशी मुद्रा में भुगतान के लिए मान्य नहीं है और इस तरह के भुगतान भारतीय रुपए में कार्डसदस्य से लिए जाएंगे।

सभी विदेशी मुद्रा शुल्क और नकद निकासी को भारतीय रुपए में परिवर्तित किया जाएगा जिस तारीख को विदेशी अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेजरी सिस्टम चार्ज की प्रक्रिया करता है। गैर–यू.एस. डॉलर शुल्क, पू.एस. डॉलर के माध्यम से परिवर्तित किए जाएंगे, चार्ज राशि को अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित करके और फिर उस अमेरिकी डॉलर राशि को भारतीय रुपए में परिवर्तित करके अमेरिकी डॉलर शुल्क को सीधे भारतीय रुपए में परिवर्तित किया जाएगा। जब तक कानून द्वारा एक विशिष्ट दर की आवश्यकता नहीं होती है, विदेशी अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेजरी सिस्टम प्रसंस्करण तिथि से पहले के कारोबारी दिन से प्रथागत उद्योग स्रोतों से चुनी गई अंतर बैंक दरों के आधार पर रूपांतरण दरों का उपयोग करेगा, जो कि विदेशी मुद्रा रूपांतरण चिह्न 3.5% से बढ़ा है। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प (AEBC) को प्रस्तुत किए जाने से पहले तृतीय पक्ष द्वारा परिवर्तित कोई भी शुल्क उनके द्वारा चयनित दरों पर होगा। अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें: americanexpress.com/in/legal/customer-complaint-grievance-redressal-policy.html

ञ) कार्ड की सुरक्षित अभिरक्षा और व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन)

कार्डसदस्य किसी भी रूप में पिन को रिकॉर्ड नहीं करेगा ताकि किसी तीसरे पक्ष के ज्ञान में आने वाले पिन को सुविधाजनक बनाया जा सकेगा परिवार के सदस्यों, दोस्तों या रिश्तेदारों या अमेरिकन एक्सप्रेस ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों, अधिकारियों का व्यापारियों सहित किसी के साथ साझा प्रकट किया सके। अमेरिकन एक्सप्रेस आपसे कभी भी आपका पिन नहीं मांगेगा. इसके अतिरिक्त, आपको कहीं भी दिन नहीं लिखना चाहिए और कार्ड और पिन को एक ही स्थान पर नहीं रखना चाहिए, जैसे वॉलेट या पर्स। कृपया अपना पिन एटीएम या पीओएस मशीन में डालते समय उसे सुरक्षित रखें। कार्डसदस्य को कार्ड की सुरक्षा और पिन की सुरक्षा बनाए रखने के लिए यहां बताए गए उपायों सहित, कार्ड को सुरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए हर समय सभी उचित उपाय करने होंगे। यदि कार्डसदस्य सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहता है, तो वह उत्तरदायी हो सकता है। कार्ड के किसी भी अनुचित/धोखाधड़ी/अनधिकृत उपयोग के मामले में कार्डसदस्य अमेरिकन एक्सप्रेस को उत्तरदायी नहीं ठहराएगा और/या पिन और अमेरिकन एक्प्रेस ऐसे अनुचित/धोखाधड़ी/अनधिकृत उपयोग/दुरुपयोग से उत्पन्न होने वाले या उससे जुड़े किसी भी परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसे किसी तीसरे पक्ष को कार्ड/कार्ड के विवरण की पहुंच के कारण या किसी तीसरे पक्ष के ज्ञान में पिन या पिन साझा करने के कारण, कार्डधारक के ज्ञान के साथ या उसके बिना किसी तीसरे पक्ष द्वारा कार्ड का यदि कोई तृतीय पक्ष सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करता है, कार्ड खाता या कार्ड पर शुल्क लगाता है, तो कार्डसदस्य तीसरे पक्ष द्वारा इस तरह के दुरुप्रयोग/उपयोग के संबंध के लिए पूरी तरह उत्तरदायी और जिम्मेदार होगा और किसी भी दायित्व, दांवों, मांगों, लागत या नुकसान के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस की क्षतिपूर्ति करेगा।

ट) संपर्क रहित भुगतान

एईबीसी द्वारा जारी किए गए कार्ड संपर्क रहित भुगतान को सक्षम करने के लिए सुसज्जित है। संपर्क रहित मोड के माध्यम से भुगतान एक

पिन में प्रवेश किए बिना एकल लेनदेन के लिए अधिकतम रुपये 5,000* के लिए अनुमत है। रुपये 5,000* से अधिक की राशि के लिए किसी भी लेन–देन को टैप + पिन या चिप + पिन द्वारा या तो प्रमाणित किया जाना चाहिए। हालांकि, भुगतान के लिए संपर्क रहित मोड़ का उपयोग करना अनिवार्य नहीं है। यदि पसंद किया जाता है, तो ग्राहकों के पास सभी लेन–देन का भुगतान करने का विकल्प होता है, जो कि लेनदेन के मूल्य के बावजूद, चिप + पिन के उपयोग से संपर्क लेनदेन के रूप में होता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया americanexpress.co.in/contactless देखें।

मैं समझता हूं कि मुझे जारी किया गया अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड कॉन्टेक्टलेस पेमेंट के लिए सक्षम होगा, और कॉन्टेक्टलेस मोड के माध्यम से भुगतान करने से जुड़ी तकनीक, इसके उपयोग और जोखिमों को समझेगा।

*बिना पिन प्रमाणीकरण के आई.एन.आर 5000 तक संपर्क रहित लेनदेन का समर्थन करने के लिए हमारे कुछ व्यापारी टर्मिनल अभी भी अपग्रेड प्रक्रिया से गुजर रहे है, यदि किसी वजह से इस संक्रमण काल के दौरान कोई भी असुविधा होती है तो उसके लिए हमें खेद है।

ठ) लेन–देन चेतावनी

कार्डसदस्य समझते हैं कि उन्हें भेजे गए लेन–देन चेतावनी एसएमएस में मर्चेंट स्थापना का छोटा नाम (केवल 12 अक्षर) ही हो सकता है। वे पूर्ण व्यापारी नाम के लिए संबंधित ईमेल (यदि पंजीकृत है) खाते का विवरण देख सकते हैं।

ड) इनएक्टिव कार्ड्स को बंद करने की प्रक्रिया

पिछले एक साल के दौरान कॉर्पोरेट कार्ड का उपयोग न करने यानी कोई एक्टिविटी/लेन–देन नहीं होने की स्थिति में, एईबीसी संबंधित कॉर्पोरेट कार्ड (कार्डों) को बंद कर सकता है। एईबीसी कॉर्पोरेट एंटिटी से जुड़े कॉर्पोरेट कार्ड (कार्डों) को जारी रखने के लिए इस तरह की सहमति लेने के लिए हर साल प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर के पास पहुंचेगा। अगर प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर ऐसी सहमति प्रदान नहीं करता है, तो एईबीसी ऐसे कॉर्पोरेट कार्ड (कार्डों) को रद्द कर देगा जहां पिछले 12 महीनों में कोई एक्टिविटी/लेन–देन नहीं हुआ है और संबंधित प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर और कार्डमेम्बर्स को सूचित करेगा।

ढ) ग्राहक मुआवजा नीति

एक बैंक के रूप में, हमारे पास ग्राहक मुआवजा नीति है, जिसका उद्देश्य एक ऐसी प्रणाली स्थापित करना है जिससे बैंक क्षतिपूर्ति करे ग्राहक को बैंक द्वारा सेवा में कमी या चूक या कमीशन के किसी भी कार्य के कारण होने वाली किसी भी वित्तीय हानि के लिए सीधे बैंक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। नीति में विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिनमें शामिल हैं:

(क) बैंक की अनाधिकृत कार्रवाई से ग्राहक को वित्तीय हानि होती है

(ख) धोखाधड़ी या अन्य लेनदेन पर उत्पन्न होने वाली गलतियां,

(ग) खाते में विलंबित क्रेडिट के लिए ब्याज का भुगतान,

(घ) अवांछित कार्ड जारी करना

(ड) अपने एजेंटों द्वारा बैंक की संहिता का उल्लंघन

(च) अन्य बैंक की अनधिकृत कार्रवाइयों से ग्राहक को वित्तीय हानि होना।

विस्तृत नीति के लिए, अमेरिकन एक्सप्रेस वेबसाइट पर ''हमारे कोड और नीतियां'' अनुभाग देखें americanexpress.com/in/legal/our-codes-and-policies.html

4. चूक और परिस्थितियां

क) एक कार्ड सदस्य को चूककर्ता के रूप में रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया (नोटिस अवधि सहित)

निम्नलिखित में से एक या अधिक परिस्थितियों में कॉर्पोरेट कार्ड खाता अतिदेय या चूक माना जायेगाः

- चेक / एनएसीएच / एनईएफटी द्वारा भुगतान जिसके द्वारा पूरी राशि प्राप्त नहीं होती।
- देय तिथि तक (खाते के विवरण के अनुसार) पूर्ण राशि का भुगतान करने में विफलता।
- यदि उसके कॉर्पोरेट कार्ड के संबंध में कार्डसदस्य द्वारा अमेरिकन एक्सप्रेस को दिया गया कोई भी बयान गलत या भ्रामक हो।
- कॉर्पोरेट कार्ड कार्यक्रम के नियमों और शर्तों का अनुपालन ना करने पर।
- यदि कार्डसदस्य के दिवालिया होने की याचिका जारी की जाती है या किसी अन्य लेनदार द्वारा उस की किसी भी संपत्ति को जब्त करने का कोई प्रयास किया जाता है।
- यदि कॉर्पोरेट कार्ड सदस्य का खाता चूक के रूप से है, तो अमेरिकन एक्सप्रेस चाहता है कि वह अपने खाते से सम्बंधित सभी बकाया रकम का तुरंत भुगतान करे और अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अवैतनिक विवरण में बताए अनुसार अगर कॉर्पोरेट कार्डसदस्य का खाते का बकाया राशि का भुगतान 90 दिनों के बाद भी नहीं किया जाता है तो ऐसे कार्ड सदस्य को चूककर्ता के रूप में घोषित कर दिया जायेगा।

कार्ड सदस्य के नाम को वैधानिक और विनायमक आवश्यकताओं के अनुपालन में क्रेडिट ब्यूरो को प्रस्तुत किया जा सकता है।

ख) चूक प्रतिवेदन को वापस लेने की प्रक्रिया और वह अवधि जिसके भीतर चूक रिपोर्ट होगी बकाया राशि के निपटान के बाद वापस लिया जाएगा

यदि ग्राहक डिफॉल्टर के रूप में रिपोर्ट किए जाने के बाद अपनी बकाया राशि का निपटान करता है, तो कार्ड जारीकर्ता निपटान की तारीख से 30 दिनों के भीतर स्तिथी को अपडेट करेगा।

ग) चूक / खाता अतिदेय के मामले में पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया

चूक के मामले में अमेरिकन एक्सप्रेस निम्नलिखित अनुवर्ती और वसूली चैनल का उपयोग करता हैः

- **पत्र द्वारा / मेल द्वारा** – कार्डसदस्य द्वारा प्रदत्त मेल पते पर पत्र भेजे जा सकते हैं ताकि अतिदेय राशि, भुगतान की देय तिथियों और बाद में विलंब शुल्क के साथ–साथ भुगतान ना करने के परिणामों की जानकारी दी जा सके।

- **टेलीफोनः** कार्डसदस्य को अपने भुगतान की स्थिति की जांच करने और अति देय राशि के बारे में सूचित करने के लिए **कार्यालय और निवास के टेलीफोन या / मोबाइल नंबरों** पर संपर्क किया जा सकता है।

- **क्षेत्र का दौराः** किसी भी बाहरी एजेंट सहित अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा नियुक्त एक अधिकृत वसूली कार्मिक द्वारा क्षेत्र का दौरा कार्डसदस्य के संपर्क पते पर किया जाएगा। वसूली कार्मिक, कार्डसदस्य को अतिदेय खाते को नियमित करने के लिए सलाह देगा और कार्डसदस्य की कार्ड खाते में यदि कोई भी समस्या / चिंता है को भी सुलझाएगा / सुनेगा ।

- **कानूनी सहाराः** कार्डसदस्य के चूक होने की स्थिति में अमेरिकन एक्सप्रेस के एकमात्र विवेक पर कानूनी सहारा लिया जा सकता है।

घ) कार्डसदस्य की मृत्यु / स्थायी अक्षमता के मामले में बकाए की वसूली

कॉरपोरेट (सीमित देता संस्था) कार्डसदस्य की मृत्यु के मामले में, कंपनी को कॉरपोरेट कार्ड लेखा को नियमित करना आवश्यक है। एक व्यक्तिगत देयता पर कॉर्पोरेट कार्डसदस्य के लिए, मृतक के अगले के साथ एक पत्र और टेलीफोन अनुवर्ती किया जाएगा, उन्हें मृतक कॉर्पोरेट

कार्डसदस्य की बकाया राशि के बारे में सूचित किया जाएगा और उन्हें खाता नियमित करने की सलाह दी जाएगी।

ङ) पॉलिसी के कार्डसदस्य और सक्रियण के लिए उपलब्ध बीमा कवर

एक अमेरिकन एक्सप्रेस कॉर्पोरेट कार्डसदस्य के रूप में आप स्वचालित रूप से मानार्थ व्यवसाय यात्रा दुर्घटना बीमा और यात्रा असुविधा बीमा के हकदार है जब आप कॉरपोरेट कार्ड के लिए निर्धारित सामान्य वाहक यात्रा टिकट लेते हैं। बीमा कवर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रदान किया जाता है और यह कवर के नियमों और शर्तों के अधीन है। कार्डसदस्य से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ बीमा दावों को सीधे निपटाने का अनुरोध किया जाता है।

इस बीमा कवर के लिए नामितियों को नियुक्त करने के लिए कार्डसदस्य को नामांकन फॉर्म भरना होगा। यह कार्डसदस्य की जिम्मेदारी है कि वह बीमा कंपनी के साथ पहले से भरे हुए नामांकन फॉर्म को लागू करे। नामांकन फॉर्म आपके कॉर्पोरेट कार्ड के साथ आपको भेजे गए स्वागत पैक के साथ प्रदान किया जाता है। यदि आपको बीमा नामांकन फॉर्म की एक प्रति चाहिए तो कृप्या हमें कॉल करें।

बहिष्करण और सीमाएं लागू होती है। अधिक जानकारी के लिए कृप्या हम से संपर्क करें और मास्टर नीति की एक प्रति प्राप्त करें।

नीति के सक्रियण की तिथि

नामांकन पर, कार्डसदस्य वार्षिक लाभ के समय पर भुगतान के अधीन, स्वचालित रूप से बीमा लाभ के लिए पात्र हो जाता है। ये लाभ तब तक रहेंगे जब तक कार्ड खाता मान्य रहेगा।

रुपए में अधिकतम कवरेज

आवरण	अमेरिकन एक्सप्रेस गोल्ड कॉर्पोरेट कार्ड	अमेरिकन एक्सप्रेस कॉर्पोरेट कार्ड, – अमेरिकन एक्सप्रेस कॉर्पोरेट क्रय कार्ड	अमेरिकन एक्सप्रेस व्यापार यात्रा खाता (यात्रा आवरण)
1. दुर्घटना में मृत्यु वायु दुर्घटना	₹7,500,000	₹3,000,000	₹3,000,000
गैर वायु दुर्घटना सड़क / रेल	₹500,000	₹300,000	₹300,000
स्थायी कुल विकलांगता	₹100,000	शून्य	शून्य
2. चेक किए गए सामान का नुकसान	₹100,000	₹25,000	₹25,000
3. जाँच किए गए सामान की प्राप्ति में देरी	₹20,000	₹5,000	₹5,000
4. पासपोर्ट / दस्तावेजों का नुकसान	₹10,000	₹10,000	₹10,000
5. योजक उड़ान छूटी	₹10,000	शून्य	शून्य
6. एक दुर्घटना के बाद चिकित्सा व्यय	₹200,000	शून्य	शून्य

5. कॉर्पोरेट कार्डसदस्य की समीक्षा / समापन

(क) **सीमित देत संस्था (कॉर्पोरेट) कार्ड के आत्म समर्पण की प्रक्रिया** – कारण सूचना सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) कार्डसदस्य की समाप्ती / निरस्तीकरण के लिए कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षर और कार्यक्रम प्रशासन सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) कार्ड को रद्द करने के अपने निर्णय को अमेरिकन एक्सप्रेस को सूचित करने की आवश्यकता है। आपकी सभी बकाया राशि तुरंत देय हो जाएगी। सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) कार्ड की समाप्ती केवल तभी प्रभावी होगी जब अमेरिकन एक्सप्रेस को खाते के संबंध में बकाया सभी राशियों का भुगतान प्राप्त होगा।

(ख) एक बार जब कार्ड रद्द या अवरुध हो जाता है (उन मामलों तक सीमित नहीं है, जहां कार्ड एक नए उत्पाद में स्थानांतरित किया जा रहा है), यह तत्काल प्रभाव से आगे के उपयोग के लिए मान्य नहीं होगा और किसी भी लेनदेन सहित, लेकिन आवर्ती लेनदेन / स्थायी निर्देशों तक सीमित नहीं, कार्ड पर निर्देशों को अस्वीकार कर दिया जायेगा। कार्ड को यदि निरस्त किया गया हो या इसे ब्लॉक किया गया हो तो आपके पास जो कार्ड है उसके दो टुकड़े करके इसका उचित रूप से निपटान कर दें।

इसके अलावा, आपने इस कार्ड पर जो भी स्थायी अनुदेश/आदेश दिए हों उन्हें निरस्त करने के लिए समुचित कदम उठाएं।

(केवाईसी) गैर–अनुपालन की स्थिति, में अमेरिकन एक्सप्रेस आपके कार्ड को ब्लॉक या रद्द कर देगा, और आवर्ती शुल्क और स्थायी निर्देश सहित सभी लेनदेन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। आपका कार्ड तभी सक्रिय होगा जब आपका खाता केवाईसी का अनुपालन करेगा।

(ग) अमेरिकन एक्सप्रेस निम्नलिखित शर्तों के तहत कार्ड सदस्य को पुनर्नियुक्ति की पेशकश कर सकता हैः

यदि कार्ड सदस्य ने अपनी इच्छा से आवेदन किया है और रद्द होने के 1 वर्ष के भीतर सदस्यता के लिए अनुरोध करते हुए वापस आता है

यदि अमेरिकन एक्सप्रेस ने कार्ड का खाता रद्द कर दिया है (डिफॉल्ट कारणों से), तो ग्राहक के अनुरोध पर कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।

एक बार जब कोई कार्ड रद्द या ब्लॉक कर दिया जाता है (जिसमें कार्ड उत्पाद को नए उत्पाद में स्थानांतरित करने के मामले शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है), तो यह तत्काल प्रभाव से आगे उपयोग के लिए मान्य नहीं होगा, और कोई भी लेनदेन, जिसमें कार्ड पर आवर्ती लेनदेन/स्थायी निर्देश शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं को अस्वीकार कर दिया जाएगा। कार्ड को यदि निरस्त किया गया हो या इसे ब्लॉक किया गया हो तो आपके पास जो कार्ड है उसके दो टुकड़े करके इसका उचित रूप से निपटान कर दें। इसके अलावा, आपने इस कार्ड पर जो भी स्थायी अनुदेश/आदेश दिए हों उन्हें निरस्त करने के लिए समुचित कदम उठाएं।

6. कार्ड पर आवर्ती लेनदेन

क) कार्ड के नवीनीकरण, कार्ड बदलने या किसी अन्य कारण से हर बार कार्ड नंबर या कार्ड साख (जैसे समाप्ति तिथि/सीवीवी आदि) में कोई परिवर्तन होता है; तो कार्डधारकों को फिर से पंजीकरण करना होगा और व्यापारी की वेबसाइट/प्लेटफॉर्म/पोर्टल पर नए स्थायी निर्देश सेट करने होंगे।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय आवर्ती लेनदेन 1 अक्टूबर–2021 से प्रभावी नहीं होंगे। सेवाओं में व्यवधान से बचने के लिए कार्डसदस्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अंतरराष्ट्रीय व्यापारियों को सीधे भुगतान करें।

(ग) व्यापारी की वेबसाइट/प्लेटफॉर्म/पोर्टल आदि पर स्थायी निर्देशों के संशोधन या रद्दीकरण के समय, स्थायी निर्देश एसआई पंजीकरण के समय कार्ड के विवरण को सत्यापित करने के लिए आपके कार्ड से INR 1 या 2 की टोकन राशि डेबिट की जाएगी। कृपया आश्स्वस्त रहे, यह कार्डसदस्य को बिल नहीं किया जाएगा।

7. हानि / चोरी होना / कार्ड का दुरुपयोग

क) कार्ड के नुकसान/चोरी दुरुपयोग के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कार्ड जारी कर्ता को सूचना देने की विधि

यदि कॉर्पोरेट कार्ड खो जाता है, चोरी हो जाता है, विकृत हो जाता है, नियत समय पर प्राप्त नहीं होता है या अगर कार्ड मेम्बर को संदेह है कि उसकी अनुमति के बिना कॉर्पोरेट कार्ड का उपयोग किया जा रहा है, तो उसे 24 घंटे उपलब्ध हेल्पलाइन फोन नंबरों (3(ङ) देखें), पर कॉल करके तुरंत अमेरिकन एक्सप्रेस को सूचित करना चाहिए। कार्ड के दुरुपयोग के कारण किसी भी धोखाधड़ी वाले लेनदेन के मामले में, कार्डमेम्बर को तुरंत घटना वाली जगह के नजदीकी पुलिस स्टेशन में फर्स्ट इनफॉर्मेशन रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करनी चाहिए और एफआईआर की एक कॉपी संलग्न करते हुए अमेरिकन एक्सप्रेस को एक विस्तृत रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। यदि खोया हुआ कॉर्पोरेट कार्ड बाद में प्राप्त हो जाता है, तो इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय रिप्लेसमेंट क्रेडिट कार्ड और उसके बाद के नवीनीकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। ओरिजिनल कॉर्पोरेट कार्ड की वापसी की सूचना तुरंत अमेरिकन एक्सप्रेस को दी जानी चाहिए और कृपया कार्ड को दो हिस्सों में काटें और विवेकपूर्ण तरीके से इसको डिस्पोज करे।

अमेरिकन एक्सप्रेस खोए हुए / चोरी हुए कार्ड के उपयोग को तुरंत रोक देगा, और उसके बदले में एक प्रतिस्थापन कार्ड जारी करेगा। यदि खो गया कार्ड बाद में पुनर्प्राप्त किया जाता है, तो इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके बदले प्रतिस्थापन कार्ड और उसके बाद के नवीकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। मूल कार्ड की पुनर्प्राप्ति तुरंत अमेरिकन एक्सप्रेस को बताई जानी चाहिए और इसे आधे में काट कर इसे सही तरीके से फेंके।

(ख) बैंक की ओर से अंशदायी धोखाधड़ी/लापरवाही/कमी (चाहे ग्राहक द्वारा लेन–देन की सूचना दी गई हो या नहीं)

(ग) उपरोक्त (क) के मामले में कार्ड सदस्य का दायित्व

एक कार्डमेम्बर की जीरो लायबिलिटी की पात्रता तब उत्पन्न होगी जब निम्नलिखित घटनाओं में अनधिकृत लेनदेन होता है:

- एईबीसी की ओर से अंशदायी धोखाधड़ी/लापरवाही/कमी (चाहे कार्डमेम्बर द्वारा लेनदेन की सूचना दी गई हो या नहीं)।
- तीसरे पक्ष का उल्लंघन जहां ना तो एईबीसी में कमी है और ना ही कार्डमेम्बर में बल्कि सिस्टम में है, और कार्डमेंबर अनधिकृत लेनदेन के संबंध में एईबीसी से कम्युनिकेशन प्राप्त करने के 3 कार्य दिवसों के भीतर एईबीसी को सूचित करता है।

निम्नलिखित मामलों में अनधिकृत लेनदेन के कारण होने वाले नुकसान के लिए कार्डमेम्बर जिम्मेदार होगा:

- ऐसे मामलों में जहां कार्डमेम्बर की लापरवाही के कारण नुकसान हुआ है, जैसे कि उसने पेमेंट क्रेडेंशियल्स साझा किए हैं, तो कार्डमेम्बर तब तक पूरा नुकसान उठाएगा जब तक कि वह एईबीसी को अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्ट नहीं करताध्करती है। अनधिकृत लेन–देन की रिपोर्टिंग के बाद होने वाला कोई भी नुक्सान एईबीसी द्वारा वहन किया जायेगा।
- ऐसे मामलों में जहां अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन की जिम्मेदारी ना तो एईबीसी की होती है और ना ही कार्डमेम्बर की, बल्कि सिस्टम में कहीं और होती है और जब कार्डमेम्बर की ओर से इस तरह के लेनदेन की सूचना एईबीसी को करने में देरी (एईबीसी से संचार प्राप्त करने के बाद 4 से 7 कार्य दिवस) होती है, तो कार्डमेम्बर की प्रति ट्रांजैक्शन लायबिलिटी ट्रांजैक्शन वैल्यू या नीचे दी गई राशि, जो भी कम हो तक सीमित होगी।
- ₹5 लाख – ₹10,000 तक की लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड
- ₹5 लाख–₹25,000 से अधिक की लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड

इसके अलावा, अगर रिपोर्टिंग में देरी 7 कार्य दिवसों से अधिक है, तो ग्राहक की देयता एईबीसी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

• तीसरे पक्ष के उल्लंघनों में कार्डमेम्बर की सम्पूर्ण लायबिलिटी, जैसा कि उपरोक्त पैराग्राफों में विस्तृत किया गया है, जहां कमी ना तो एईबीसी में है और ना ही कार्डमेम्बर में, बल्कि सिस्टम में कहीं पर है, जैसा कि नीचे संक्षेप में दिया गया है:

कम्युनिकेशन प्राप्त करने की तारीख से धोखाधड़ी वाले लेनदेन की रिपोर्ट करने में लगने वाला समय	ग्राहक का लायबिलिटी (₹)
3 कार्य दिवसों के अन्दर	जीरो लायबिलिटी
4 से 7 कार्य दिवसों के अन्दर	ट्रांजैक्शन वैल्यू या नीचे उल्लिखित राशि, जो भी कम हो • ₹5 लाख–₹10,000 तक की लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड • ₹5 लाख–₹25,000 से ऊपर की लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड
7 कार्य दिवसों के बाद	एईबीसी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार

ii) अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा अपनाई और कार्यान्वित की गई सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तरह काफी मजबूत है, जो कार्डसदस्य डेटा को अनाधिकृत पहुंच से बचाने और सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त है, और वर्तमान में आरबीआई द्वारा अनिवार्य पीसीआई डीएसएस प्रमाणन का विकल्प है। हालांकि अमेरिकन एक्सप्रेस पीसीआई डीएसएस प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो पाने पर भी अमेरिकन एक्सप्रेस, कार्डसदस्य द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी के नुकसान को सहन करेगा।

(iii) संवर्धित ग्राहक सुरक्षा के लिए, अमेरिकन एक्सप्रेस भारत में मैगास्ट्रिप / गिरावट वापस मोड पर लेनदेन की अनुमति नहीं देता है।

ङ) कार्डमेम्बर 24 घंटे उपलब्ध हेल्पलाइन फोन नंबरों (3(ङ) का संदर्भ लें) पर कॉल करके कार्ड के खोने या चोरी होने या इसके दुरुपयोग के बारे में सूचित कर सकते हैं। कार्डमेम्बर "अपना कार्ड बदलें या ट्रैक करें" विकल्प का उपयोग करके MYCA या मोबाइल ऐप में लॉग इन करके भी कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। माय कार्ड अकाउंट/वेबसाइट लिंक को सीधे एक्सेस करने के लिए कृपया यहां लॉगिन करें https://www.americanexpress.com/enin/account/login?inav=in_utility_login

8. वित्तीय सेवाओं की आपूर्ति

बैंक अपने उत्पादों और प्रचालनों से संबधित आउटसोर्सिंग/असाइन गतिविधियां (विक्रय, विपणन, सर्विसिंग, बैकेन्ड प्रचालन, टैक्नोलॉजी सेवाएं आदि) अपने एकल विवेकानुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के प्रयोजनीय दिशानिर्देशों के अनुसरण में अपने किसी सेवा प्रदाता से कर सकता है चाहे वह भारत में हो या विदेश में हो तथा चाहे वह कोई बैंक के संबद्ध हों या फिर कोई तृतीय पक्ष हो। बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह कार्डमैम्बर के खाते, क्रेडिट जानकारी/वित्तीय जानकारी/केवाईसी जानकारी, कार्ड डेटा (लेनदेन डेटा सहित) और ''व्यक्तिगत जानकारी'' और/या ''संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी'' सहित अन्य जानकारी, अपनी डेटा निजता नीति के अनुसरण में, बैंक द्वारा किसी भी प्रकार की सेवाएं आउटसोर्स करने के प्रयोजनार्थ ऐसे सेवा प्रदाताओं को विस्तृत रूप में उपलब्ध करवा सकता है।

9. कॉर्पोरेट ग्राहक / कॉर्पोरेट कार्डधारक सूचना, उद्देश्यों और निहितार्थों का प्रकटीकरण

क) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होने के नाते, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन, भारत (एईबीसी) / (बैंक) कानूनी रूप से बाध्य है (i) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), केडिट सूचना कंपनियों द्वारा गठित बड़े क्रेडिट पर सूचना के केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) को अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों और / या कॉर्पोरेट कार्डमेम्बर से संबंधित क्रेडिट जानकारीधवित्तीय जानकारी का खुलासाधरिपोर्ट /साझा/प्राप्त करें (सीआईसी) क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित और दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत स्थापित सूचना उपयोगिताओं (आई यु) को एईबीसी इसके द्वारा कॉर्पोरेट ग्राहकों और / या कॉर्पोरेट कार्डधारकों को सूचित करता है कि बैंक रिपोर्ट करेगा समय समय पर खाते से संबंधित क्रेडिट सूचना/वित्तीय जानकारी (सकारात्मक और / या नकारात्मक) उक्त संस्थानों को उपरोक्त कानूनों /विनियमों के तहत निर्धारित क्रेडिट सूचना/वित्तीय जानकारी का प्रसार करने के लिए उपरोक्त संस्थानों को प्रतिकूल रिपोर्टिंग कॉर्पोरेट ग्राहकों और / या कॉर्पोरेट कार्डमेम्बर्स के क्रेडिट स्कोर / क्रेडिट रेटिंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है और उनकी मौजूदा वित्तीय सुविधाओं की सर्विसिंग और / या अन्य बैंक/वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सुविधाएं हासिल करने की संभावना को प्रभावित कर सकती है (ii) सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना) नियम 2011 ("भारतीय गोपनीयता नियम"), भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य नियामकों, अदालतों, न्यायाधिकरणों, मध्यस्थ न्यायाधिकरणों, न्यायिक और अर्धन्यायिक निकायों, सरकारी एजेंसियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों /

राज्य और केंद्र सरकार के उपकरणों को / से जैसे कि, वित्तीय खुफिया इकाई – भारत प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पुलिस और अन्य विभागों/एजेंसियों और कानूनी ढांचे के तहत स्थापित कोई अन्य संस्थान / प्राधिकरण और / या निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए किसी भी लागू कानून के तहत / एईबीसी के निर्वहन की सुविधा के लिए विनियम / प्रासंगिक कानूनों / विनियमों के तहत उनके दायित्व तक सीमित नहीं है। (iii) सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ़ सिक्यूरिटाइज़ेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ़ इंडिया (CERSAI) से/को के साथ, जानकारी और अन्य जानकारी जिसमें शामिल है अपने 'ग्राहक को जानिए' (KYC) दस्तावेज/जानकारी को प्राप्त/अपलोड करना। इसके अलावा, एईबीसी, कार्डमैम्बर की क्रेडिट जानकारी/वित्तीय जानकारी/केवाईसी जानकारी, कार्ड डेटा (लेनदेन डेटा सहित) तथा अन्य जानकारी जिसमें वह शामिल है जो कार्डमैम्बर ने जो जानकारी अपने आवेदन प्रपत्र में या उसके बाद उपलब्ध करवाई हो, ''व्यक्तिगत जानकारी'' और/या ''संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी'' सहित या एईबीसी ने किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की हो, उसे (ए) अपने आउटसोर्सिंग पार्टनरों (अपने ग्रुप/एसोसिएट/संबद्ध/सहायक संस्थाओं/किन्हीं अन्य संस्थाओं) जिनके साथ कार्डमैम्बरों के अनुरक्षण तथा सेवा प्रदान करने, कार्ड प्रचालनों, अपने कार्ड संबंधी कारोबार से संबंधित बैंक प्रचालनों या टैक्नोलॉजी सेवा (ओं) के प्रावधान हेतु या विभिन्न ऑफर, लाभ, विशेषताएं तथा अन्य सेवाएं/उत्पाद अपने कार्डमैम्बरों को उपलब्ध करवाने के लिए एईबीसी की संविदागत व्यवस्था/टाई–अप व्यवस्था हो (बी) इसकी पेरेन्ट संस्था जैसे अमेरिकन एक्सप्रैस बैंकिंग कारपोरेशन, न्यू यॉर्क (क्योंकि भारत में एईबीसी अमेरिकन एक्सप्रैस बैंकिंग कारपोरेशन, न्यू यॉर्क की एक शाखा के रूप में कार्य करती है) (सी) विपणन एजेन्सियां और/या विपणन प्रयोजन बशर्ते कार्डमैम्बरों ने स्पष्ट रूप से इस संबंध में एईबीसी को प्राधिकृत किया हो/अनुमति दी हो। और (डी) कार्ड संबंधी कारोबार या इंडस्ट्री से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने के प्रयाजनों से इंडस्ट्री एसोसिएशनें (इनमें पीआईआई शामिल नहीं है)। उपर्युक्त सभी मामलों में (उपर्युक्त सीआईसी को रिपोर्ट किए जाने के मामले को छोड़कर, एईबीसी प्रचलित दिशानिर्देशों/विनियमों के अंतर्गत यथापेक्षित रूप से कार्डमैम्बरों को पहले से सूचना प्रदान करेगी), एईबीसी क्रेडिट जानकारी/वित्तीय जानकारी/केवाईसी जानकारी/कार्ड डेटा (लेनदेन डेटा सहित) तथा ''व्यक्तिगत जानकारी'' और/या ''संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी'' सहित उपर्युक्त अन्य जानकारी कार्डमैम्बरों को कोई अतिरिक्त नोटिस/सूचना दिए बिना उजागर करेगी/रिपोर्ट करेगी/देगी/लेगी और उजागर किए जाने/किसी और को दिए जाने के अन्य सभी मामलों में, एईबीसी कार्डमैम्बरों से अनुमोदन मांगेगी। अमेरिकन एक्सप्रेस के लिए सूचना प्रदाताओं की गोपनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना) नियम 2011 ("भारतीय गोपनीयता नियम") का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे डेटा गोपनीयता सिद्धांत बताते है कि किस तरह से अमेरिकन एक्सप्रेस और उसके कर्मचारी, साझेदार और विक्रेता भारत में अपने डेटा संरक्षण और गोपनीयता सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत जानकारी को सामूहिक रूप से "प्रोसेस" करने के लिए एकत्रित, उपयोग, स्टोर, शेयर, ट्रांसमिट, डिलीट या अन्यथा संसाधित करेंगे। कार्डमेंबर स्वेच्छा से अपने विवेक के अनुसार डॉक्युमेंट की वास्तविक/ई–कॉपी (आधार नंबर के प्रमाण सहित) संबंधित प्राधिकरण/प्राधिकरणों द्वारा दिए गए फॉर्मेट में एईबीसी में जमा करते हैं जिनमें उनकी पहचान और/या पता और/या कोई अन्य व्यक्तिगत या संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी शामिल हो सकती है जिसके अनुसार उनकी पहचान/पते और किसी अन्य जानकारी का भी सत्यापन हो सकता है जो कार्डमेंबर देते हैं। कार्डमेम्बर स्वेच्छा से एईबीसी को उनके डॉक्युमेंट और/या दी गई जानकारी एकत्र, प्रॉसेस, स्टोर, सत्यापन और प्रमाणित करने की स्पष्ट सहमति देते हैं जो कि क्रेडिट कार्ड जारी करने/नियमित केवाईसी अपडेट करने/कथित उद्देश्य से दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए समय–समय पर लागू किसी अधिनियम या कानून के तहत नियमानुसार व्यक्तिगत क्षमता या एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता या एक लाभार्थी स्वामी के रूप में, जो भी लागू हो, दी गई हो। उपरोक्त विवरण को अमेरिकन एक्सप्रेस® इंडिया ऑनलाइन के गोपनीयता कथन के साथ पढ़ा और समझा जाएगा और कार्डमेम्बर यह घोषणा करता है कि स्वेच्छा से दी गई सभी जानकारियां सत्य, सही और पूर्ण हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस गोपनीयता नीति के विवरण के लिए और यह जानने के लिए कि हम कैसे जानकारी एकत्र, संसाधित और संग्रहीत करते हैं, कृपया लॉग ऑन करें: https://www-americanexpress.com/in/content/privacy-statement.html

ख) व्यावसायिक संबंध/खाते पर आधारित संबंध बनाने के समय और उसके बाद, आवश्यकता के अनुसार ग्राहक द्वारा जमा किये गए दस्तावेजों में किसी भी अपडेट के मामले मेंय ग्राहकों को 30 दिनों के अन्दर ऐसे दस्तावेजों के अपडेट का विवरण बैंक को देना होगा।

10) एसएमए और एनपीए वर्गीकरण और उन्नयन

दबावग्रस्त अस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे और आय की पहचान पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, आरबीआई द्वारा जारी किए गए अग्रिम से संबंधित परिसंपति वर्गीकरण और प्रावधान और समय समय पर उसमें संशोधन, नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित श्रेणियों के अनुसार यदि देय तिथि पर अतिदेय का भुगतान नहीं किया जाता है तो बैंकों को उधारकर्ताओं को विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) और

गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है :

श्रेणियाँ	वर्गीकरण के लिए आधार–मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि पूर्ण या आंशिक रूप से अतिदेय
एसएमए–0	30 दिनों तक
एसएमए–1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक
एसएमए–2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक
एनपीए	90 दिनों से अधिक

देय तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में उधारकर्ता खातों को अतिदेय के रूप में चिह्नित किया जाता है। इसी तरह, उधारकर्ता खातों का एसएमए के साथ–साथ एनपीए के रूप में वर्गीकरण प्रासंगिक तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में किया जाता है और एसएमएम या एनपीए वर्गीकरण तिथि कैलेंडर तिथि होती है जिसके लिए दिन की समाप्ति प्रक्रिया चलती है।

उदाहरणः यदि किसी ऋण खाते की देय तिथि 31 मार्च, 2021 है, और ऋण देने वाली संस्था द्वारा इस तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने से पहले पूर्ण बकाया प्राप्त नहीं होता है, तो अतिदेश की तिथि 31 मार्च, 2021 होगी। यदि यह जारी रहता है अतिदेय रहते हैं, जो इस खाते को 30 अप्रैल, 2021 को दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर यानी लगातार अतिदेय होने के 30 दिन पूरे होने पर एसएमए–1 के रूप में टैग किया जाएगा। तदनुसार, उस खाते के लिए एसएमए–1 वर्गीकरण की तिथि 30 अप्रैल, 2021 होगी।

इसी तरह, यदि खाता अतिदेय बना रहता है, तो इसे 30 मई, 2021 को दिन के अंत की प्रक्रिया बताने पर SMA-2 के रूप में टैग किया जाएगा। और यदि आगे भी अतिदेय बना रहता है, तो इसे 20 जून, 2021 को दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

इसके अलावा, एनपीए के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ता खाते को "मानक" संपत्ति के रूप में अपग्रेड किया जाता है, यदि उधारकर्ता द्वारा ब्याज और मूलधन की संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान किया जाता है।

पुनर्गठन के मामले में:

मानक के रूप में वर्गीकृत खातों को तुरंत गैर–निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के रूप में डाउनग्रेड कर दिया जाता है और एनपीए का पुनर्रचना से पहले के समान परिसंपत्ति वर्गीकरण जारी रहेगाय जब तक अन्यथा आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

क) उन्नयन के लिए शर्तें

ए.) एमएसएमई खातों के लिए जहां ऋणदाताओं का कुल एक्सपोजर ₹25 करोड़ से कम हैः एक खाते को 'मानक' में अपग्रेड करने के लिए तभी विचार किया जा सकता है जब वह निर्दिष्ट अवधि के दौरान संतोषजनक प्रदर्शन प्रदर्शित करता हो।

बी.) अन्य सभी खातों के लिए जो एमएसएमई नहीं हैः एक खाता तभी अपग्रेड किया जाएगा जब खाते में सभी बकाया ऋण/सुविधाएं समाधान योजना (आरपी) के कार्यान्वयन की तारीख से लेकर जिस तारीख तक आरपी के अनुसार बकाया मूल ऋण की राशि का कम से कम 10 प्रतिशत और पुनर्गठन के हिस्से के रूप में स्वीकृत व्याज पूजीकरण, यदि कोई हो, चुकाया जाता है।

सी.) किसी खाते के उन्नयन के संबंध में अन्य नियामक दिशानिर्देश लागू कानूनों के अनुसार कुछ खातों पर भी लागू हो सकते हैं।

उधारकर्ता खातों के एसएमए/एनपीए वर्गीकरण पर ये निर्देश खुदरा ऋण सहित सभी ऋणों पर लागू होते हैं, चाहे उधार देने वाली संस्था के जोखिम का आकार कुछ भी हो। अधिक जानकारी के लिए कृपया भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर प्रकाशित दिशानिर्देश देखें

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए, कृपया **यहाँ क्लिक** करें।

उपरोक्त के अलावा, कृपया अमेरिकन कॉरपोरेट कार्ड के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए अपने कॉर्पोरेट कार्ड के साथ आप के पास भेजे गए कार्डसदस्य समझौते का संदर्भ लें।



http://www.americanexpress.co.in/

American Express Corporate Cardmember Helpline Number

All-India Toll-Free 1800-419-1222 or +91-0124-673-6999

American Express Banking Corp.

Cyber City, Tower C, DLF Bldg. No. 8, Sector - 25, DLF City Phase II, Gurgaon - 122002, Haryana

American Express Banking Corp., Incorporated in USA. ® Reistered trademark of American Express Company

MITC-11/2026